

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2025—आश्विन 18, शक 1947

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2025

क्रमांक 3623/973078/2022/आठ — मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अंतर्गत समस्त यान जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 1 (बीएस-I) मानक और पूर्ववर्ती व्यापक उत्सर्जन मानक मानदंडों के अनुसार विनिर्मित किये गए हैं तथा मध्यम मालयान/भारी मालयान/मध्यम यात्री मोटरयान/भारी यात्री मोटरयान जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 2 (बीएस-II) मानदंडों के अनुसार विनिर्मित किये गए हैं, को जारी "Certificate of Deposit" के विरुद्ध पंजीकृत किये जाने वाले नए गैर परिवहन यानों तथा नए परिवहन यानों पर मोटर यान कर में 50% की छूट प्रदान करती है। यह छूट निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात्:—

- (1) मोटरयान कर में छूट केवल उस स्थिति में ही प्रदान की जाएगी, जब नवीन वाहन उस व्यक्ति के नाम से क्रय किया जाए जो तत्समय अपने नाम से जमा प्रमाण-पत्र धारित करता हो।
- (2) कोई नवीन वाहन क्रय करने के लिए, प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त करने हेतु वाहन स्वामी के लिए जमा प्रमाण-पत्र एक आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा। इस प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता इसके जारी किए जाने की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के लिए होगी।
- (3) "जमा प्रमाण-पत्र" इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय योग्य होगा। प्रत्येक नवीन वाहन स्वामी के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जमा प्रमाण-पत्र का हस्तांतरण प्रारूप 2डी के अनुसार सृजित किया जाएगा। जमा प्रमाण-पत्र एक बार उपयोग कर लिए जाने पर, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या उक्त प्रमाण-पत्र के धारक को लाभ प्रदान करने वाले विक्रेता द्वारा वाहन डेटाबेस में "निरस्त" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- (4) मोटरयान कर में छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी, जब नवीन वाहन, मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत किसी आरवीएसएफ द्वारा जारी जमा प्रमाण-पत्र के विरुद्ध पंजीकृत किया जाए। यदि जमा प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश राज्य से भिन्न राज्य में स्थित किसी आरवीएसएफ द्वारा जारी किया जाता है तो मोटरयान कर में छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
- (5) मोटरयान कर में छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी, जब क्रय किया गया नवीन वाहन उसी श्रेणी का हो, जिस श्रेणी का वाहन स्क्रेप किया गया हो।
- (6) जीवनकाल कर जमा किए जाने की दशा में, गैर परिवहन/परिवहन यानों पर 50% मोटरयान कर की एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी।
- (7) यान जिन पर मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर कर अधिरोपित किया जाता है, उन पर 50 प्रतिशत कर की छूट मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर, 8 वर्ष तक प्रदान की जाएगी।
- (8) मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 3/3/4/001/2022/आठ दिनांक 08.09.2022 के अधीन प्रदाय की जाने वाली मोटरयान कर की छूट उन यानों पर लागू नहीं होगी, जिन पर इस अधिसूचना के अधीन मोटरयान कर में छूट पहले से ही प्रदान की जा चुकी हो।

No. 3623/973078/2022/VII - In exercise of the powers conferred by section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, provides 50% exemption of motor vehicle tax on new transport vehicles and new non-transport vehicles, which are to be registered against "Certificate of Deposit" issued under the Motor Vehicles (Registration and Working of Vehicle Scraping Facility) Rules, 2021 to all the vehicles manufactured as per Mass Emission Standard Bharat Stage I (BS-I) norms and earlier Mass Emission Standard norms and to medium goods vehicles/heavy goods vehicles/medium passenger motor vehicles/heavy passenger motor vehicles which are manufactured as per Mass Emission Standard Bharat Stage II (BS-II) norms. This exemption shall be provided subject to the following conditions and restrictions, namely :-

- (1) Exemption in motor vehicle tax shall be provided only in case, new vehicle is purchased in the name of the person who holds Certificate of Deposit for the time being in his name.
- (2) The Certificate of Deposit shall be a necessary and sufficient document for the owner to avail incentives and benefits for purchase of a new vehicle. The validity of this certificate shall be for a period of 3 years from the date of issuance.
- (3) The "Certificate of Deposit" shall be electronically tradeable. The transfer of Certificate of Deposit shall be generated on the trading platform for each new owner as per Form 2D. The Certificate of Deposit once utilized shall be marked "Cancelled" in the Vahan database by the regional transport

office or dealer providing the benefits to the bearer of the said certificate.

- (4) Exemption in motor vehicle tax shall be provided only, if new vehicle is registered against the Certificate of Deposit is issued by any RVSF registered in the State of Madhya Pradesh. If the Certificate of Deposit is issued by any RVSF located in the State other than Madhya Pradesh State, then exemption in motor vehicle tax shall not be provided.
- (5) Exemption in motor vehicle tax shall be provided only, if the purchased new vehicle is of the same class as of the vehicle which has been scrapped.
- (6) In case of deposit of lifetime tax, one-time exemption of 50% motor vehicle tax on non-transport/transport vehicles shall be provided.
- (7) Vehicles on which tax is imposed on monthly/quarterly/annual basis, then tax exemption of 50% shall be provided on monthly/quarterly/annual, tax upto 8 years.
- (8) The motor vehicle tax exemption provided under Notification No. F 3/3/4/001/2022/VIII dated 08.09.2022 issued by the Government of Madhya Pradesh, Transport Department shall not be applicable on the vehicles in which motor vehicle tax exemption has already been provided under this notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष सिंह, सचिव.